राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2325 / 2012 / अजमेर.

सहायक आयुक्त, विशेष वृत, अजमेर. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स उदयराज इन्द्रसिंह, बापू बाजार, बिजयनगर, अजमेर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 17 / 04 / 2018

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 42 / 11–12 / वैट / ब्यावर में पारित किये गये आदेश दिनांक 13.06.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अजमेर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006–07 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 28.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील में पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

3. प्रकरण की सुनवाई के समय ही राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा परिज्ञान में लाया गया कि इस प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2006–07 के लिये वेट अधिनियम की धारा 33 में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.3.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण में पुनः जांचकर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 10.7.2012 को पुनः आदेश पारित कर दिया गया है, अतः राजस्व की अपील सारहीन हो चुकी है। फलतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

4. निर्णय सुनाया गया ।

(के. एल. जैन)
सदस्य